



सत्यमेव जयते

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन**  
**Employees Provident Fund Organisation**  
**(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)**

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

**मुख्य कार्यालय/Head Office**

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023  
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023  
Website: [www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in), [www.epfindia.nic.in](http://www.epfindia.nic.in)



सं.-एचआरएम-1/ए-8(1)2026/1062

दिनांक:- 23.04.2026

**कार्यालय आदेश**

**विषय: नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I के पद पर पदोन्नति के संबंध में।**

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I के पद पर पदोन्नति हेतु 24.12.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर, माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., श्री ओम प्रकाश सिंह (क्षे.भ.नि.आ. - I तदर्थ) को पैनल वर्ष 2026 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I के पद पर नियुक्ति को सहर्ष अनुमोदित करते हैं।

- नियमित पदोन्नति पर, अधिकारी वर्तमान तैनाती स्थल, **क्षे.का. पीनिया** पर बने रहेंगे। नियमित पदोन्नति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- अधिकारी की वरिष्ठता कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।
- वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा -  
“ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित नियुक्ति होती है, यह विकल्प प्रारम्भिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य होगा, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।”
- नियमित आधार पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I के रूप में अधिकारी की जॉइनिंग रिपोर्ट ई-मेल [rc1.hrm@epfindia.gov.in](mailto:rc1.hrm@epfindia.gov.in) पर मा. सं. प्र., मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।
- उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना के समक्ष दायर ओए नंबर 435/2021 (संबंधित एमए) और माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ के समक्ष दायर सीपी नंबर 19/2024 के परिणाम के अधीन है।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

(कार्तिकेय सिंह)


क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1/(मा.स.प्र.-1)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

प्रति : (क.भ.नि.स. की वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष (केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क. भ. नि.) के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
4. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./ सभी अ. कें. आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. मुख्या. और अंचल के सभी अ. कें.भ.नि. आ./ मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षे.भ.नि. आयुक्त (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्रशा.), मुख्यालय/ क्षे.भ.नि. आयुक्त(एनडीसी) के प्रभारी।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप. निदेशक (सतर्कता)/ आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ आं.प्र.सं. के क्षे.भ.नि. आयुक्त।
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइलें।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।



(कार्तिकेय सिंह)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1/(मा.स.प्र.-1)